प्रशासनिक विधि के अन्तर्गत प्रशासकीय विवेकाधिकार का न्यायिक पुनर्विलोकन

डॉ. अमित कुमार श्रीवास्तव

सामान्यतः विवेक का अर्थ कई अनुकल्पों में से चुनाव करना होता है। परन्तु विवेक के पूर्व 'प्रशासकीय' विशेषण लगा है। अतः इसका विशेष मतलब निकाला जाता है। इस दृष्टिकोण से विवेक का अर्थ स्वयं की बुद्धि के अनुसार कार्य करने की शक्ति या अनेक अनुकल्पों में से स्वेच्छा के बगैर न्याय एवं औचित्यतता के सिद्धान्तों के अनुसार चुनाव करना। प्रशासकीय विवेक का तात्पर्य मनमर्जी, काल्पनिक या अनिश्चित प्रयोग नहीं है, बल्कि संतुलित, नियमित एवं विधिक होता है। प्रशासकीय विवेक का प्रयोग निश्चित मानदण्ड के बगैर नहीं होना चाहिए। न्यायालय प्रशासकीय प्राधिकारी के निर्णय की जगह अपने निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। विवेक किसी बात को निश्चित करने की शक्ति होती है, जिसके द्वारा झूठ एव ंसच, उचित एवं अनुचित, सार एवं छल की पहचान की जा सकती है।